XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3363–एक / 13 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा प्र0क0 69 / 12–13 / अ–74 में पारित आदेश दिनांक20.8.13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण ग्राम देवरी के ग्रामवासियों एवं सरपंच ग्राम पंचायत खेरिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रारंभ हुआ है, आवेदन में उनके द्वारा पुराने समय के अनुसार नए नक्शे में सुधार कराए जाने का अनुरोध किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पर अधीक्षक भू–अभिलेख से जांच कराई जाकर उनके द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के अनुसार नक्शा दुरस्ती हेतु प्रकरण कलेक्टर को भेजा गया, जिस पर से कलेक्टर आलोच्य आदेश पारित किया है । उन्होंने यह पाया है कि प्रकरण में उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया ह और जिन सर्वे नंबरों का उपयोग आम रास्ते के रूप में बताया जा रहा है उनसे संबंधित किसानों एवं सचिव, कृषि उपज मंडी समिति के कथन/रिर्पोट प्राप्त नहीं की गई है । उक्त कारणों से उन्होंने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजकर आक्षेपित बिंदुओं की पूति कर स्पष्ट अभिमत हेतु निर्देश दिए हैं । कलेक्टर की उक्त कार्यवाही उचित, न्यायिक और सुस्पष्ट वैधानिक आधारों पर है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	समुचित अवसर अभी उपलब्ध है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । 2–– उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक– /2013 R 3363 I/13

III/13

आर. डी. शर्मा, अभि

द्वारा आज दि. 6-9-13 को

प्रस्तुत

6-9-13

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुजारी हरिओम शर्मा पुत्र श्री मथुरा प्रसाद शर्मा, निवासी–मेंहगांव तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.) ----आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड (म.प्र.) --अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक–69/2012–13/अ–74 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2013 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय